

# बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय

तृतीय तल, राजीव गांधी विद्या भवन, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर- 302015

कमांक एफ.2/स्थापना/2024-25/ 378

दिनांक 14-08-2024

## कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 06 की अनुपालना में प्रो. एम.के. पण्डित, सेवानिवृत्त प्रोफेसर/प्राचार्य, महाराजा कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर में लोकपाल नियुक्त किया जाता है। सुनवाई का संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिन प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित है।



कुलसचिव


बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय  
जयपुर

कमांक एफ.2/स्थापना/2024-25/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान/कुलाधिपति, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति महोदय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रो. एम.के. पण्डित, मकान न. 86, रामगली न. 6, राजा पार्क, सूरज मैदान के पास, जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. प्रभारी, वेबसाइट, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।



बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय  
जयपुर